Telephone/Fax
No-

Mail Address:-
debij@allahabadhighcourt.in,
bijnordlsa@gmail.com

कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिजनौर।

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत गठित)

प्रेषक,

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बिजनौर।

सेवा में,

जिला सूचना अधिकारी/पदेन सदस्य,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बिजनौर।

विषयः जनपद बिजनौर के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में निम्नांकित सूचना का निःशुल्क प्रकाशन कराने का कष्ट करें।

प्रेस विज्ञप्ति

मा0 उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्रांक सं0 2829/एसएलएसए-31(सी)/ 1997 (ऋ/संदीप) दिनांकित 27.07.2022 एवं माननीय मध्यस्थ चयन समिति,बिजनौर के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में मध्यस्थ केन्द्र, बिजनौर में नवीन मध्यस्थों की नियुक्ति की जानी है। जिस हेतु इच्छुक आवेदकों के आवेदन पत्र **दिनांक 20.10.2022 तक** कर आमंत्रित किये जाने हैं। उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यता, अर्हता/अनर्हता, नियम-शर्तें व आवदेन पत्र का प्रारूप दिनांक 20.10.2022 तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिजनौर से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक के मध्य प्राप्त किया जा सकता है अथवा उक्त सूचना माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाईट https://www.allahabadhighcourt.in तथा जनपद न्यायालय, बिजनौर की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/bijnor से भी डाउनलोड की जा सकती है।

दिनांक- 14.10.2022

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिजनौर।
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बिजनौर

प्रतिलिपि-

1. मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिजनौर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमान् नोडल ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग को उक्त विज्ञप्ति मा0 जनपद न्यायालय, बिजनौर की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने के सम्बन्ध में।
3. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला बार एसोसियशन, बिजनौर को उक्त विज्ञप्ति को बार काउन्सिल, बिजनौर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर प्रचार-प्रसार कराने हेतु।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिजनौर

विज्ञप्ति

पत्रांक सं0..938/DLSA...Bijnor/2022 दिनांक...14.10.2022

मा0 उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक सं0 2829/एसएलएसए-31 (सी)/1997 (त्र/संदीप) दिनांकित 27.07.2022 के अनुपालन मध्यस्थता केन्द्र, बिजनौर में मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र **दिनांक 20.10.2022** तक आमंत्रित किये जा रहे हैं, जिससे सम्बन्धित आर्हता निम्नवत हैं-

- **ऐसे अधिवक्ता, जिनके पास न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो।**
- **सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।**
- **ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ, जिनके पास अपने-अपने क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र से सुपरिचित हों।**

आवश्यक निर्देश-

1. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. चयनित आवेदक की नियुक्ति मध्यस्थ पैनल बनाये जाने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी।
3. आवदेकों को एक उपक्रम प्रस्तुत करना होगा कि वे भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थता प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
4. आवेदक को न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामले में दण्डित न किया गया हो।
5. आवेदन पत्र अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिविल कोर्ट कैम्पस, बिजनौर उ0 प्र0-246701 को संबोधित सील बन्द लिफाफे में समस्त वांछित शैक्षिक, पहचान-पत्र, निवास व चरित्र प्रमाण-पत्र सम्बन्धित प्रपत्रों की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रतियों तथा दो स्व हस्ताक्षरित पास-पोर्ट साईज फोटो सहित दिनांक **20.10.2022** की सायंकाल 5 बजे तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिजनौर के कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित किया जा सकते हैं। उक्त तिथि के बाद प्राप्त होने वाले अथवा गलत पते पर प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. आवेदक आवेदन पत्र के साथ एक स्वपतायुक्त लिफाफा पंजीकृत डाक हेतु निर्धारित डाक टिकट लगाकर प्रस्तुत करें।
7. नियत पारिश्रामिक पर मंहगाई भत्ता या अन्य कोई भत्ता आदि देय नहीं होगा।
8. चयन के सम्बन्ध में अध्यक्ष,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिजनौर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
9. आवेदक द्वारा दी गई सूचना चयन के किसी भी स्तर पर मिथ्या पाये जाने पर उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

10. आवेदन का प्रारूप कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिजनौर के नोटिस बोर्ड से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सांय 5.00 बजे तक के मध्य प्राप्त किया जा सकता है अथवा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाईट https://www.allahabadhighcourt.in तथा जनपद न्यायालय, बिजनौर की आधिकारिक वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/bijnor से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

अनर्हताएं-

1. ऐसा कोई व्यक्ति, जो दिवालिया न्यायानिर्णीत किया गया हो या विकृतचित का घोषित किया गया हो,
2. ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध किसी न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया हो,
3. ऐसा कोई व्यक्ति, जो नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिये किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो,
4. ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी हों या फलस्वरूप दण्डित किया गया है और
5. ऐसे अन्य श्रणी के व्यक्ति, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित किया जाये।

दिनांकः

संलग्नक- आवेदन पत्र का प्रारूप।

(मदन पाल सिंह)
अध्यक्ष/ जनपद न्यायाधीश,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिजनौर।

अध्यक्ष / जनपद न्यायाधीश
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जनपद न्यायालय, बिजनौर

Schedule - I

MEDIATION AND CONCILIATION CENTRE
(District)
(APPLICATION FOR BEING EMPANELLED AS MEDIATOR)

Self attested Photograph to be affixed

1. Name :

2. Father's Name :

3- Address :
(a) Office
(b) Residence

4. Telephone No. :
(a) Office
(b) Residence

5. Mobile No. :
(a) Office
(b) Residence

6. E-mail Id:

7. Academic Qualifications:

8. Professional Qualifications and Experience:

9. Technical experience, if any:

10. Special qualification or experience in Mediation, if any:

11. Bar Council Enrollment Number with date:
(applicable only to advocates)

12. Whether any Charge Sheet has been submitted against you in any Court? :

13. Whether you have been convicted by the Court for offense involving moral turpitude? :

14. Whether you have been adjudged insolvent or have been declared to be of unsound mind? :

15. Whether any disciplinary proceedings have ever been initiated against you by the disciplinary authority, or whether you have been punished in such disciplinary proceedings? :

I .... do hereby submit that I am willing to be empanelled as a mediator in .... Judgeship and give my consent for being empanelled under Rule 3 of the Uttar Pradesh Civil Procedure (District Court) Mediation Rules, 2021. I assure that during my term as a mediator, I shall follow ethics as prescribed in Rule 22 of the said Rules while performing my duties. I also undertake to undergo the mediator's training as prescribed by the Mediation and Conciliation Project Committee of the Supreme Court of India. I declare that the above furnished information is true to the best of my knowledge and nothing has been concealed.

Full Signature:

Date: